

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

पीत पत्र के बदले में

वा0कर/बैटक/11/2015

राज्य कर संयुक्त आयुक्त,
कम्प्यूटरीकरण शाखा।

आपके गै0स0प्रे0सं0 301 दिनांक 21.12.2020 के संदर्भ में सूचित करना है कि झारखण्ड पेशा कर अधिनियम के अंतर्गत पेशा कर मं निबंधन हेतु कोई शुल्क लेने का प्रावधान नहीं है।

22.12.20

(अखिलेश शर्मा)
राज्य कर संयुक्त आयुक्त,
(कराधान शाखा)।

वाणिज्य-कर विभाग

गै0स0प्रे0सं0 303

दिनांक 22/12/2020